भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2544
जिसका उत्तर सोमवार, 9 मार्च, 2026/18 फाल्गुन, 1947 (शक) को **दिया जाना है।**
"ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट"

2544. श्री कामाख्या प्रसाद तासा:
क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट, विशेषकर आतंकी हमलों के बाद लगाए गए व्यापार प्रतिबंध के मद्देनजर, भारत के राजस्व आसूचना निदेशालय (डीआरआई) द्वारा पाकिस्तानी मूल के सामान के अवैध आयात को रोकने के लिए चलाया जा रहा एक बड़ा अभियान है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) राजस्व आसूचना निदेशालय (डीआरआई) द्वारा आरंभ किए गए ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट की वर्तमान स्थिति क्या है;
(घ) पाकिस्तानी मूल के सामान के अवैध आयात में शामिल पाए गए तीसरे देशों के नाम क्या हैं;
(ङ) क्या डीआरआई ने पाकिस्तानी मूल के सामान के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आयात या पारगमन के संबंध में सरकार द्वारा लगाई गई आयात नीति की शर्तों का घोर उल्लंघन पाया है; और
(च) यदि हां, तो ऐसे घोर उल्लंघनों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वित्त राज्य मंत्री
(श्री पंकज चौधरी)

(क) से (घ): हाँ, ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट राजस्व आसूचना निदेशालय (डीआरआई) द्वारा अप्रैल 2025 में पहलगाम हमले और तदुपरांत भारत सरकार द्वारा पाकिस्तान के साथ व्यापार पर प्रतिबंध लगाने के बाद शुरू किया गया था। उक्त ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य पाकिस्तान से उत्पन्न तथा तृतीय देशों के माध्यम से भारत में ट्रांस-शिपमेंट होकर आने वाली खेपों की पहचान करना एवं उन्हें जब्त करना है। यह ऑपरेशन अभी जारी है, जिसका उद्देश्य पाकिस्तानी मूल के या वहाँ से निर्यात होने वाले माल के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आयात को रोकना है। जनवरी 2026 तक, इस अभियान के तहत, डीआरआई द्वारा पाकिस्तानी मूल के माल से जुड़े कुल 12 मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें 1748 लाख रुपये मूल्य का माल ज़ब्त किया गया है। सभी 12 मामलों में माल संयुक्त अरब अमीरात के रास्ते आयात किया गया है।

(ङ) और (च): डीआरआई ने उपरोक्त पैरा (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित 12 मामलों का पता लगाया है, जिनमें डीजीएफटी अधिसूचना संख्या 06/2025-26 दिनांक 02.05.2025 द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों सहित मौजूदा कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए माल का आयात किया गया पाया गया है।

****